

टेलीफोन नं. 25674980
Email id : ddgvig@dgest.org

ई मेल/स्पीड पोस्ट
सं. 109/21/विविध/सामा./सतर्कता/रसं
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय
रक्षा संपदा भवन
उलान बाटर मार्ग, दिल्ली छावनी
नई दिल्ली - 110010
दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

सेवा में

प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
मध्य/पूर्व/उत्तर/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम/पश्चिम कमान
लखनऊ/कोलकाता/जम्मू/पुणे/जयपुर/चंडीगढ़

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2015 मनाना

उपरोक्त विषय पर पत्र संख्या 015/वीजीएल/065/293536 दिनांक 31.08.2015 के अंतर्गत प्राप्त सीवीसी के परिपत्र संख्या 11/08/15 की प्रति संलग्न है।

2. अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों को उक्त परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के निर्देश के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त परिपत्र को परिचालित करें और समेकित रिपोर्ट 15 नवम्बर, 2015 तक महानिदेशालय को भेज दें ताकि इसे आगे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा सके।

3. निदेशालयों के संबंध में रिपोर्ट भी इसके साथ ही भेजी जाए।

-sd-

(योगेश कुमार)
उप महानिदेशक (सतर्कता)
कृते महानिदेशक, रक्षा संपदा

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

महानिदेशक, रक्षा संपदा के प्रधान निजी सचिव
वरिष्ठ अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा के प्रधान निजी सचिव
सभी अपर महानिदेशक
सभी उप महानिदेशक
सभी सहायक महानिदेशक
सभी उप सहायक महानिदेशक
सभी सहायक रक्षा संपदा अधिकारी
सभी प्रभाग

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023
015/वी.जी.एल./065

सं./ No.....

दिनांक / Dated..... 31.08.2015

परिपत्र सं० 11/08/15

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2015 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग राष्ट्र का शीर्षस्थ सत्यनिष्ठ संस्थान होने के नाते अभिशासन में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मूलभूत उद्देश्यों में से एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना है तथा इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करना एक ऐसा ही उपाय है । आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 26 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा । इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता" है ।

2. आयोग, भ्रष्टाचार नियंत्रण में निवारक सतर्कता की क्षमता पर बल देता रहा है । आयोग के सतर्कता मैनुअल में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सतर्कता अधिकारियों की भूमिका मुख्य रूप से निवारक है । प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए, निवारक सतर्कता की मुख्य रूप से व्याख्या, उपायों के एक पैकेज के रूप में की जा सकती है, ताकि स्वनिर्णय के अवसर कम हो सकें तथा भ्रष्टाचार दूर किया जा सके ।

3. सुशासन, उचित निर्णय लेने के लिए तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में है । सुशासन की मुख्य विशेषताएं पारदर्शी होना, उत्तरदायी होना, विधि के नियमों का अनुपालन करना, समावेशी होना, प्रभावी होना तथा कार्यकुशल होना है । सुशासन तथा निवारक सतर्कता कई विशेषताओं को साझा करते हैं तथा अतः, निवारक सतर्कता को सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप ना केवल सतर्कता कार्य के साथ सम्बद्ध नकारात्मक अर्थ की समाप्ति होगी अपितु संगठन की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को भी सकारात्मक योगदान मिलेगा ।

4. मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ बैंकों/ संगठनों को सलाह दी जाती है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करें :-

- (i) अपने कार्यालयों में मुख्य स्थानों पर बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना ।
- (ii) बैंकों की शाखाओं, पेट्रोल पम्पों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों में बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना ।
- (iii) भ्रष्टाचार-विरोध हेतु उचित पैमाने पर मीडिया अभियान चलाना ।
- (iv) स्थानीय क्षेत्रों में कर्मचारियों के मध्य तथा महाविद्यालयों/ विद्यालयों में नैतिक मूल्यों, नीतिपरक विषयों, सुशासन पद्धति आदि पर वाद विवाद/ व्याख्यान/ निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा पुरस्कार वितरण करना ।

- (v) इस अवधि के दौरान दैनिकी के विशेष अंक प्रकाशित करना, तथा
(vi) सतर्कता जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए स्थानीय क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों तथा सेवा संस्थाओं से अनुरोध करना ।

5. इस वर्ष आयोग यह चाहता है कि युवाओं तथा महाविद्यालय के छात्रों को बड़े पैमाने पर शामिल करके वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाए । राष्ट्र के सभी मुख्य शहरों में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निश्चित शहर की जिम्मेदारी लेने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करें । इससे यह सुनिश्चित होगा कि सतर्कता, सम्पूर्ण भारत के महानगरों में तथा 30-40 टियर 2 शहरों के युवाओं तक पहुँचकर चर्चा का विन्दु बनेगा ।

6. चूंकि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता" है अतः, इस अवसर का उपयोग बड़े स्तर पर निवारक सतर्कता को कार्यान्वित करने के लिए किया जाना चाहिए ।

7. आम जनता तक पहुँचने के लिए तथा यह संदेश देने के लिए कि भ्रष्टाचार से कोई लाभान्वित नहीं होता है तथा निवारक सतर्कता के माध्यम से विभिन्न संगठनों के सतर्कता खंडों द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डालने के लिए आयोग छह लघु प्रसंगों को बनाने पर कार्य कर रहा है जिसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 26 से 31 अक्टूबर, 2015 के दौरान दूरदर्शन से प्रसारित किया जाएगा । आयोग यह चाहता है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी निरंतर मीडिया अभियान चलाने की संभावनाओं का भी पता लगाएं ।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, समितियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को भी यह सलाह दी जाती है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह से पूर्व आयोजित की जाने वाली बोर्ड/ शासी निकाय बैठक में संबंधित अध्यक्ष द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष संदेश (प्रतिज्ञा) पढ़ा जाए ।

9. सप्ताह का अनुपालन करने के बारे में एक रिपोर्ट सभी विभागों/संगठनों द्वारा 30 नवम्बर, 2015 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए ।

10. यह अधिसूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाईट <http://www.cvc.nic.in> पर भी उपलब्ध है ।

ह0/-
(नीलम साहनी)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
5. मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग ।
6. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के मुख्य कार्यपालक ।
7. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.